न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार

अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015
दूरभाष सं0-0612-2215041, email - scdisability2008@gmail.com, website –www. scdisabilities.org

पत्रांक-1513/आ०नि०श० दिनांक-14 दिसम्बर '2020

आदेश

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं0-75/2019

श्री वाणी भूषण पाण्डेय(9835590211), पिता-स्व0 बाल्मीकी पाण्डेय, ग्राम+पो0-बौरही, भाया-हजरत साई, थाना-धनरूआ, अनुमंडल-मसौढ़ी, जिला-पटना। .....वादी

बनाम

(1) आरक्षी अधीक्षक, पूर्वी पटना।
(2) जिला भूमि उपसमाहर्त्ता, मसौढ़ी, पटना।
(3) अंचलाधिकारी, धनरूआ, प्रखंड- धनरूआ, जिला- पटना। .....परिवादी

प्रकरण में :- **श्री वाणी भूषण पाण्डेय, पिता-स्व0 बाल्मीकी पाण्डेय, ग्राम+पो0-बौरही, भाया-हजरत साई, थाना-धनरूआ, अनुमंडल-मसौढ़ी, जिला-पटना को उनके पैतृक घर से बेदखल करने के संबंध में प्राप्त परिवाद पत्र।**

पूर्व में सुनवाई की तिथि:- 25.08.2020

वाद में शिकायत की गई है कि वादी के पैतृक घर को धोखाधड़ी एवं फर्जी दस्तावेज तैयार कर हथिया लेने का षडयंत्र उनके भाई एवं परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। इसकी सूचना वादी द्वारा अनुमंडल, जिला स्तर के प्रशासनिक पदाधिकारियों को देकर दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 पर किए गए प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का प्रार्थना किया गया है, आरक्षी अधीक्षक, पटना एवं जिला भूमि उपसमाहर्त्ता, पटना प्रतिवादी अंकित कर न्यायालय के पत्रांक-07, दिनांक-01.1.2020 के द्वारा उपस्थित होने एवं जबाब दायर करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, मसौढ़ी, पटना के पत्रांक- 32, दिनांक-20.01.2020 के द्वारा जवाब समर्पित किया गया है, जिसमें अंकित किया गया है कि वादी के आवेदन पत्र के आलोक में संबंधित परिवाद पत्र में वर्णित बिन्दुओं की जाँच अंचलाधिकारी, धनरूआ से करायी गई। अंचलाधिकारी, धनरूआ प्रश्नगत भूमि स्थल का निरीक्षण करते हुए अपने कार्यालय पत्रांक-113, दिनांक-20.01.2020 द्वारा प्रतिवेदन किए हैं कि वादी तीन भाई हैं। तीनों भाइयों घर से बाहर रहते हैं। पैतृक घर को लेकर भाइयों में विवाद है, वादी का कहना है कि बिना बँटवारा के उनके हिस्सा का घर को दोनों भाई किसी तीसरे व्यक्ति को निबंधित कर दिए हैं, इसमें वादी का हिस्सा है, निबंधन किया जाना गलत है।

क्र0पृ0उ0.....

यह मामला रैयती से संबंधित आपसी विवाद का है। प्रथम दृष्टया यह मामला स्वत्व वाद से संबंधित है जिसकी सुनवाई सक्षम न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वादी चाहे तो सक्षम न्यायालय में मामला दायर कर सकते हैं। वाद को समाप्त किया जाता है।

14/11/20

राज्य आयुक्त दिव्यांगजन
बिहार, पटना

डॉ शिवाजी कुमार
राज्य आयुक्त निःशक्तता
बिहार, पटना

न्यायालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन
सं०सं.....
बिहार, पटना